राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–342 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक–2/6/17

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु संदर्भ संस्थाओं को लक्ष्य आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 मे आवंटित लक्ष्य के समान लक्ष्य ही अनन्तिम रूप से आवंटित कर तेजी से कार्य कर मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत 100 दिवसों मे तदानुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश इस कार्यालय के पत्र सं0–253 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक 26.04.2017 के द्वारा दिये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु शहरों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष संदर्भ संस्थाओं (ROs) को लक्ष्यों का आवंटन उनकी विगत वर्षो की प्रगति एवं परफारमेन्स के आधार पर किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि अच्छी परफारमेन्स वाली संदर्भ संस्थाओं से कार्य कराये जाने हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उनका अनुबन्ध विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए आवश्यक है कि शहरों द्वारा सन्दर्भ संस्था / संस्थाओं की लिखित सहमति के साथ अपनी स्पष्ट संस्तुति तत्काल एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करा दी जाय जिससे उसपर विचार कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

शहर द्वारा संस्था के अनुबन्ध को विस्तारित किये जाने की संस्तुति के साथ संस्था / संस्थाओं की सहमति पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कराना होगा कि संस्था द्वारा सूडा उ0प्र0 के पास परफारमेन्स गारन्टी के रूप में जमा रू0 1.00 लाख की बैंक गारन्टी को भी आगामी विस्तारित अवधि तक के लिए बैंकों के माध्यम से बढ़ा कर (Extend) कराकर एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार शहरों द्वारा कराये जा रहे कार्य एवं संदर्भ संस्थाओं के अनुबन्ध विस्तारित किये जाने की संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय द्वारा लक्ष्य आवंटित कर दिया जायेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 से जनगणना 2011 के अनुसार 50,000 से 1.00 लाख जनसंख्या वाले शहरों मे भी DAY-NULM का क्रियान्वयन किया जाना है जिसके क्रम मे आवश्यक है कि शहरों मे कार्यरत संस्था से उनके आस–पास के शहरों मे पहुंच (स्टाफ / इन्फ्रास्टक्चर की उपलब्धता) एवं क्षमता के आधार पर सहमति लेकर इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि अतिरिक्त शहरों मे भी कार्य आवंटित किया जा सके। इस आशय की लिखित सहमति एवं सी0एम0एम0यू0, डूडा अपनी संस्तुति भी स्पष्ट रूप से अलग से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शहरों में RO के रूप में कार्यरत CDS को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लक्ष्यों के आवंटन हेतु उनके द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर सी0एम0एम0यू0 अपनी संस्तुति एवं दिये जाने वाले लक्ष्यों का विवरण प्रत्येक दशा में 10.06.2017 तक एस0एम0एम0यू0, सूडा को ई–मेल द्वारा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करायें, ताकि CDS को दिये जाने वाले लक्ष्यों को छोड़कर शेष लक्ष्यों का आवंटन संदर्भ संस्थाओं को उपरोक्त के आलोक मे किया जा सके। शहर में संदर्भ संस्था के रूप मे कार्यरत CDS (RO) की रिपोर्ट भी प्रारूप–3 मे भरा लें तथा शहर स्तर पर एक्सेल शीट मे आर0ओ0 वाइज संकलित कर लें। जहां RO/CDS (RO) नहीं हैं वहां सी0एम0एम0यू0 डूडा अंकित कर रिपोर्ट तैयार कराकर संलग्न कर लें। तदोपरान्त मार्च 2017 से मिलान कर लें तथा शहर स्तर पर गठित एस0एच0जी0 की बचत, इन्टर लोनिंग आदि का विवरण संरक्षित करते हुए प्रत्येक सप्ताह/माह में इसे अपडेट भी करें। यह अति आवश्यक है।

उक्त के साथ ही विगत वित्तीय वर्ष में जिन संदर्भ संस्थाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है तथा संस्थाएं ससमय कार्यो का सम्पादन नहीं कर पायी हैं उक्त आधार पर यदि सी0एम0एम0यू, डूडा को प्रतीत होता है कि कार्यहित में अमुक संदर्भ संस्था का अनुबन्ध विस्तारित किये जाने योग्य नहीं हैं उन संस्थाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति भी उल्लिखित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

अतः सन्दर्भ संस्थाओं का अनुबन्ध विस्तारित किये जाने हेतु निर्धारित मॉडल प्रारूप–1 मे संदर्भ संस्था की सहमति तथा मॉडल प्रारूप –2 में सी0एम0एम0यू0, डूडा की संस्तुति तथा प्रारूप–3 मे सन्दर्भ संस्था की प्रगति एवं उपरोक्त के आलोक मे अन्य सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

भवदीय

संलग्नक–यथोक्त

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी0एम0एम0यू0, डूडा उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3. इम्पैनल्ड सभी संदर्भ संस्था।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रारूप–1

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य शहरी आजीविका मिशन
सूडा, उ0प्र0।

विषय : DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इम्पैल्ड संदर्भ संस्था का कार्यकाल विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हमारे जनपद/शहर मे सूडा उ0प्र0 द्वारा इम्पैनल्ड निम्नांकित संदर्भ संस्था/संस्थाओ द्वारा सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अनतर्गत कार्य किया जा रहा है। संस्था एवं सूडा उ0प्र0 के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार संस्था को आवंटित कार्यो का विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	शहर का नाम	संदर्भ संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष				
			2015–16		2016–17		2017–18
			प्रथम SHG के बैंक मे खाता खुलवाने की तिथि	अन्तिम SHG का बैंक मे खाता खुलवाने की तिथि	प्रथम SHG के बैंक मे खाता खुलवाने की तिथि	अन्तिम SHG का बैंक मे खाता खुलवाने की तिथि	यदि कार्य दिया गया हो/किया जा रहा हो तो प्रथम SHG का बैंक मे खाता खुलवाने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

संदर्भ संस्था के प्रगति के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि संदर्भ संस्था का कार्य सन्तोषजनक है/नहीं है/नहीं रहा है (जो लागू न हो काट दें) जिसके आधार पर संस्था से कार्य जारी रखने की एवं बैंक गारन्टी बढ़वाने की सहमति के आधार पर आगामी वर्षो मे कार्य करने हेतु अनुबन्ध विस्तारित करने की संस्तुति की जाती है/अनुबन्ध विस्तारित करने की संस्तुति नहीं करते हुए पूर्व निर्गत कार्यादेश निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। पूर्व मे निर्गत कार्यादेश के सापेक्ष कार्यो का संचालन सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा किया जा रहा है/किया जायेगा।

उल्लिखित संस्था/संस्थाओ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी वर्षो मे कार्य किये जाने के सम्बन्ध में लिखित मे सहमति प्रदान करते हुए तदानुसार अनुबन्ध विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत कार्यहित मे संस्था का तदानुसार अनुबन्ध विस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है। संस्था का सहमति पत्र तथा निर्धारित प्रारूप मे प्रगति विवरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

दिनांक–

सी0एम0एम0	पी0ओ0/ए0पी0ओ0	सी0पी0ओ0
CMMU, DUDA	DUDA	CMMU, DUDA

प्रारूप–2

सेवा में,

मिशन निदेशक
उ0प्र0 राज्य शहरी आजीविका मिशन
सूडा, उ0प्र0।

विषय : DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इम्पैल्ड संदर्भ संस्था का कार्यकाल विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूडा उ0प्र0 एवं............................(संदर्भ संस्था का नाम)....................पता.................................... अधिकृत प्राधिकारी श्री..................................पद............................के मध्य दिनांक ....को DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इम्पैनलमेन्ट के उपरान्त 03 वर्षो हेतु आपसी सहमति से अनुबन्ध निस्पादित किया गया था।

संस्था अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त शहर का नाम.....................................मे कार्य कर रही है तथा संस्था कार्य अनुभव के आधार पर DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्यो को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं आगामी वर्षो मे भी निरन्तर जारी रखने की इच्छुक है तथा कार्य कर रही हैं। इस प्रकार कार्य की निरन्तरता वर्तमान एवं आगामी वर्षो में जारी रखने हेतु अनुरोध है कि संस्था का तदानुसार आगामी वर्षो तक अनुबन्ध विस्तारित कर दिया जाये। संस्था सूडा में धरोहर स्वरूप जमा बैंक गारन्टी रू0 1.00 लाख की अवधि तदानुसार बैंकों के माध्यम से बढ़वा (Extend) कराकर एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करा देगी।

दिनांक–

अनुबन्ध पर हस्ताक्षर लिए
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम सहित)

<u>समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत संदर्भ संस्था की प्रगति आख्या हेतु प्रारूप</u>

<u>प्रारूप–3</u>

शहर एवं जनपद का नाम–...............................

संदर्भ संस्था का नाम... **मई, 2017**

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16		वित्तीय वर्ष 2016–17		वित्तीय वर्ष 2017–18 (यदि शहर स्तर पर दिया गया हो तो)		कुल योग		टिप्पणी
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SHG का गठन (गठित एवं खाता खुले समूह की संख्या)									
2	SHG को रिवाल्विंग फण्ड (RF)									
3	ALF का गठन									
4	CLF का गठन									
5	ALF को रिवाल्विंग फण्ड (RF)									
6	व्यक्तिगत बचत खाता									
7	वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन									
8	SHG को बैंक लिंकेज									
9	गठित एवं बैंक में खाता खुले कुल समूहों की कुल बचत धनराशि रू0 में									
10	समूहों की संख्या जो आंतरिक लेन–देन कर रहे हैं									
11	समूहों की आंतरिक ऋण में वितरित धनराशि रू0 में									
12	समूहों की आंतरिक ऋण में वितरित धनराशि के सापेक्ष वापसी की धनराशि रू0 में									
13	ऋण वापसी दर प्रतिशत में									
14	प्रशिक्षित समूहों की संख्या									
15	प्रशिक्षित समूह सदस्यों की संख्या									
16	सी0आर0पी0 की संख्या									
17	बुक कीपर्स की संख्या (समूह सदस्यों के विवरण सहित)									
18	**MIS पर प्रगति के सापेक्ष अपलोड का समेकित**									
19	अन्य उल्लेखनीय बिन्दु									

RO CMM, CMMU, DUDA PO DUDA